छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492002.

आवक क्रमांक 4267 दिनांक 23/7/2019

–:: आदेश ::–

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23 –07–2019.

क्रमांक एफ 08–21/2009/23,:– राज्य शासन, एतद् द्वारा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (MLA-LADS) की मार्गदर्शिका में निम्नानुसार संशोधन करता है :–

1. मार्गदर्शिका की कंडिका 1.1 के उपरांत निम्नानुसार 1.1 (क) स्थापित की जाती है:–
   कंडिका 1.1(क): "मार्गदर्शिका की परिशिष्ट–1 में हितग्राही मूलक व अन्य कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से जोड़ा जा सकता है।"

2. **मार्गदर्शिका की कंडिका 1.1 में** *वर्ष 2004–05 में वार्षिक पात्रता राशि रूपये 50.00 लाख थी, जिसे वर्ष 2011–12 से बढ़ाकर रू. 1.00 करोड़ कर दिया गया है।*

   के स्थान पर

   "वर्ष 2011–12 में वार्षिक पात्रता राशि रूपये 1.00 करोड़ थी, जिसे वर्ष 2019–20 से बढ़ाकर रूपये 2.00 करोड़ (रूपये दो करोड़) किया जाता है।" स्थापित किया जाता है।

3. **मार्गदर्शिका की कंडिका 1.2 में** *इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रू. 1.00 करोड़ उपलब्ध कराया जाता है।*

   के स्थान पर

   "इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रू. 2.00 करोड़ उपलब्ध कराया जाता है।" स्थापित किया जाता है।

   टिप्पणी : कंडिका 1.2 *योजनान्तर्गत विधायकगण केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष कुल रूपये 75.00 लाख की लागत के पूंजीगत प्रकृति के छोटे–छोटे कार्य, जो एक या दो सीजन में पूर्ण किये जा सकें, की अनुशंसा कर सकेंगे। विधायकगण कार्य कार्यान्वित किये जाने के लिए जिला कलेक्टरों से अनुशंसा कर सकेंगे। विधानसभा सदस्यों द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस मार्गदर्शिका के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की जायेगी।*

AD (MPCADS) 23/7

Add Dir

23 JUL 2019

MLA LADS ASO 24/7/19

यदि विधायक विशेष द्वारा वर्ष में केवल एक ही कार्य अनुशंसित किया जाता है। तो इस कार्य की लागत रूपये 73.50 लाख रूपये से अधिक न होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु पृथक से रूपये 24.50 लाख तक के कार्यों को जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर उसी विधानसभा क्षेत्र हेतु जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत मार्गदर्शिका के अनुरूप कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी।

के स्थान पर

"योजनान्तर्गत विधायकगण केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष निर्धारित कुल निधि रूपये 200.00 लाख का 74% अर्थात रूपये 148.00 लाख (रूपये एक सौ अड़तालिस लाख) की लागत के पूंजीगत प्रकृति के छोटे–छोटे कार्य, जो एक या दो सीजन में पूर्ण किये जा सकें, की अनुशंसा कर सकेंगे। विधायकगण कार्य कार्यान्वित किये जाने के लिए जिला कलेक्टरों से अनुशंसा कर सकेंगे। विधानसभा सदस्यों द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस मार्गदर्शिका के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की जायेगी।

यदि विधायक विशेष द्वारा वर्ष में केवल एक ही कार्य अनुशंसित किया जाता है, तो इस कार्य की लागत रूपये 148.00 लाख (रूपये एक सौ अड़तालिस लाख) से अधिक न होगी। इस योजना के अंतर्गत पृथक से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्धारित कुल निधि का 25% अर्थात रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख) तक के कार्यों को जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर उसी विधानसभा क्षेत्र हेतु जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत मार्गदर्शिका के अनुरूप कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी।" स्थापित किया जाता है।

4. **4.8 आकस्मिक निधिः–** *योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु वार्षिक पात्रता राशि रूपये 1.00 करोड में से दो प्रतिशत अर्थात रूपये 2.00 लाख आकस्मिक निधि के रूप में नोडल जिला एवं क्रियान्वयन जिला (यदि कोई हो तो) के मध्य वितरित किया जायेगा जिसे संदर्भित वित्तीय वर्ष में शासन के नियम निर्देशों के अनुसार व्यय किया जाना है। वर्षान्त में शेष राशि शासन को समर्पण कर दिया जावेगा। यदि कोई विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में आ रहा हो तो उस विधानसभा क्षेत्र की पात्रता राशि के विरूद्ध आकस्मिक निधि की राशि समान रूप से वितरित होगी।*

के स्थान पर

"योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु वार्षिक पात्रता राशि रूपये 2.00 करोड़ में से 1% अर्थात रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) आकस्मिक निधि के रूप में नोडल जिला एवं क्रियान्वयन जिला (यदि कोई हो तो) के मध्य समान रूप से वितरित किया जायेगा जिसे संदर्भित वित्तीय वर्ष में शासन के नियम निर्देशों के अनुसार व्यय किया जाना है। वर्षान्त में शेष राशि शासन को समर्पण कर दिया जायेगा। यदि कोई विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में आ रहा हो तो उस विधानसभा क्षेत्र की पात्रता राशि के विरूद्ध आकस्मिक निधि की राशि समान रूप से वितरित होगी।" स्थापित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी. के. खेतान)
अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

पृ.क्रमांक एफ 08–21/2009/23, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25–07–2019.
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मान. मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
2. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्रीगण, नवा रायपुर, अटल नगर,
3. निज सचिव/निज सहायक, माननीय विधायकगण, विधानसभा क्षेत्र ....छत्तीसगढ़,
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़,
5. उपसचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. समस्त, संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
8. समस्त, कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
9. संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
10. समस्त, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, छत्तीसगढ़,

की ओर सूचनार्थ संप्रेषित है।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग